संख्या- 8/2025/249/002-53-2099-99-18-2022

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, रहमानखेडा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन उत्पादन हेतु प्रयोगशाला निर्माण के लिए नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत पूंजीगत मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- सी-786/नन्दबाबा दुग्ध मिशन/उप0प्रमाण-पत्र/2024-25, दिनांक 22 मार्च, 2025 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, रहमानखेडा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन उत्पादन हेतु प्रयोगशाला निर्माण(जिसकी पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 741.14 लाख है) के लिए नन्द बाबा दुग्ध मिशन से गैप फंडिंग हेतु अनुदान संख्या-16 के पूंजीगत मद में लेखाशीर्षक "4404- डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-102-डेरी विकास परियोजनायें-03- नन्द बाबा दुग्ध मिशन-24-बृहद निमार्ण कार्य" में प्राविधानित धनराशि रू0 450.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 39/2024/1088/001-53-2099-99-18-2022, दिनांक 18.12.2024 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 225.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। संप्रति अवशेष धनराशि रू0 225.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में सम्पूर्ण धनराशि रू0 225.00 लाख(रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) निम्नलिखित नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. प्रायोजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्सेज सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

7. प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेशी) को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 का होगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुये अपितु आवश्यकतानुसार किया जाय। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/ बी- 1-294/ दस- 2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/ बी- 1-607/ दस- 2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित फर्नीचर की लागत को अनुमन्य किया गया है, इनके क्रय हेतु क्रय समिति का गठन करके प्रस्तावित फर्नीचर की न्यूनतम आवश्यकता एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गुणवत्ता का निर्धारण कर फर्नीचर का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाय।

12. प्रायोजना में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर लागत आंकलित की गयी है। मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत प्रायोजना में विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाय।

13. प्रायोजना में फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0, लेन सिस्टम, वाटर कूलर आदि का प्राविधान किया गया है। इनके क्रय के समय कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाय।

14. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्रा एवं विशिष्टता को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन का होगा।

15. प्रश्नगत प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

16. प्रायोजना में उल्लिखित प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,25,00,000(रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 4404001020300 नन्द बाबा दुग्ध मिशन **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 8/2025/249/002-53-2099-99-18-2022, तद्दिनांक ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0(पैकफेड), लखनऊ।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।
9. सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
10. मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
11. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।